

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ राजस्थान

क्रमांक - जिशिअ / हनु / प्रा० / मान्यता / 2012 / । । । ।

दिनांक - । । । । / । । । ।

### प्रबन्धक

### दयानंद एंगलों वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एण्ड मैनजमेन्ट सोसायटी नई दिल्ली

विषय - नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घारा-18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ॥ के उप नियम (4)के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 20.9.2011के आवेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ जक्शन (अग्रेजी माध्यम) तह हनुमानगढ़ को दिनांक 12/2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से 8 कक्षा तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता है । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।

2. विधालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(उपांध 1)और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपांध 2)के उपबंधों का पालना करेगा ।

3. विधालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की सख्त्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्ग और अलामपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसक पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।

4. परा-उमे निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की घारा-12(2)के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5. सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।

6. विधालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा । यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है ।

7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) प्रठेश दिए गए किसी भी बालक को विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक डी.ए.टी. सेटेनरी पब्लिक स्कूल किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा हनुमानगढ़ जक्शन
- (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं ही
- (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकृति किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।
- (5) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का स्मावेश किया जाना ।
- (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की अधारा 23(1)के अधीन यथा अधिकृति न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे ।

संस्था सचिव

स्कूल प्रबन्ध समिति

✓

- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- (8) अध्यापक स्वयं को वित्ती निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
8. विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विधालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा।

10. विधालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विधालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अतिस निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-

विधालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्भित क्षेत्र :- 208.36 वर्ग मीटर

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल :- 74.34 वर्ग मीटर

कक्षा कमरों की संख्या : 14

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष :- 03

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :- है

पेयजल सुविधा :- है

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई:- है

बाधा रहित पहुँच

अध्यापक पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करण/पुस्तकालय की उपलब्धता:- उपलब्ध है।

11. विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।

12. विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

13. विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14. विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15. विधालय के लेखाओं की चार्टड अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिकशिक्षा) हनुमानगढ़ को भेजी जानी चाहिए।

16. आपके विधालय को आवंटित मान्यता कोड 0673 संख्याक है। कृप्या इस नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे।

17. विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकाकरी के ऐसे अनुदेशों का पालना करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत, अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए संस्था सचिव

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि हो को सुनिश्चित किया जाए।

19. सलग्न उपाध्यक्ष के अनुसार अन्य कोई शर्त।

स्कूल प्रबन्ध समिति  
डी.ए.वी. रोडेनरी पब्लिक स्कूल  
हनुमानगढ़ जंक्शन

